


31/08/24

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)


क्रमांक-एफ 21(1)(225)पूल / आईसीडीएस / 97469-50/ जयपुर, दिनांक: 22-7-16
समस्त उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग।

विषय :- नकारा घोषित व नकारा योग्य वाहनों को जमा कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं। कि आपके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में जो वाहन नकारा घोषित कर दिये गये है उन्हें स्टेट मोटर गैराज में दिनांक 15-08-16 तक तथा जो वाहन नकारा योग्य है उन्हें शीघ्र नकारा घोषित कर निर्धारित समय से पूर्व राज. स्टेट मोटर गैराज में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित समय सीमा दिनांक 15-08-16 से पूर्व नकारा घोषित वाहनों को जमा नहीं कराया जाता है, तो आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।


प्रभारी अधिकारी(पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ 21(1)(225)पूल / आईसीडीएस / 97502 जयपुर, दिनांक: 22-7-16
प्रतिलिपि :- कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।


प्रभारी अधिकारी(पूल)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।